छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा तृतीय सत्र अंक-03

रायपुर, बुधवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2014

(अग्रहायण 26, शक संवत् 1936)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. आतंकवाद की भर्त्सना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि - मुझे सदन को सूचित करते हुए अत्यंत दुःख हो रहा है कि मंगलवार, दिनांक 16 दिसंबर, 2014 को पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत की राजधानी पेशावर में सेना द्वारा संचालित आर्मी पब्लिक स्कूल पर आतंकवादियों ने हमला कर लगभग 132 बच्चों सहित 160 लोगों की हत्या कर डाली।

मानवता को कलंकित करने वाली, अशांति एवं दहशत फैलाने वाली इस अमानवीय घटना ने पाकिस्तान ही नहीं, अपितु सम्पूर्ण विश्व को ही झकझोर दिया है। विश्व के समस्त राष्ट्रों ने इस वीभत्स आंतकवादी घटना की कड़ी निन्दा की है। इस अमानवीय, बर्बर एवं कायरतापूर्ण कृत्य की जितनी भी निंदा की जाए, वह कम है।

हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर के एक कैफे में आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया। भारत की संसद, देश के विभिन्न शहरों, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, पेंटागन एवं विश्व के कई देशों में आतंकवादियों द्वारा समय-समय पर आतंकवादी हमला कर पूरे विश्व की एकता तथा शांति को भंग करने का प्रयास किया जाता रहा है। पूरा विश्व आतंकवाद के विरूद्ध इस संघर्ष में एकजुट है।

यह सदन आतंकवादियों द्वारा किए गए इस शर्मनाक एवं जघन्य कृत्य जो मानवता के प्रति घिनौना अपराध है, की कड़ी निंदा करता है, साथ ही मृतकों एवं पीड़ित परिवारों के दुःख एवं पीड़ा में सहभागी है तथा उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता है।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री एवं श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष ने भी इस अवसर पर उद्‌गार व्यक्त किए।

दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 11.10 बजे स्थगित होकर 11.18 बजे पुन: प्रारंभ हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

2. पृच्छा

कार्यवाही प्रारंभ होते ही श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष ने धान खरीदी के संबंध में उल्लेख किया।

श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य द्‌वारा कल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्‌वारा गांधी जी की प्रतिमा के उपर काली शाल पहनाने के संबंध में दिए गए निंदा प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की गई।

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्‌वारा पर्चे लहराए गए एवं पक्ष एवं विपक्ष द्‌वारा निरंतर परस्पर नारेबाजी की गई।)

माननीय अध्यक्ष ने सदस्यों से आग्रह किया कि वे सदन की मर्यादा का पालन करते हुए अपनी बात रखें।

निरंतर नारेबाजी एवं व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 11.24 बजे स्थगित की जाकर 12.02 बजे पुन: समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्यसंचालन संबंधी नियमावली तथा अध्यक्ष के स्थायी आदेश 94 (2) (3), संसदीय पद्धति तथा प्रक्रिया के पृष्ठ 311 व 312 तथा विधान सभा की आसंदी की पूर्व व्यवस्था का उल्लेख करते हुए व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि सदन में आग्नेय अस्त्र, झण्डा, इश्तहार का प्रदर्शन नहीं हो सकता है। आज पूरा प्रतिपक्ष इश्तहार लगाकर आया है। प्रदेश के संसदीय इतिहास में अभी तक इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटी है।

श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने विधान सभा भवन स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर काली शॉल उढ़ाने पर प्रतिपक्ष के सदस्यों से माफी मांगने की मांग की।

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा निरंतर नारेबाजी की गई।)

माननीय अध्यक्ष ने उल्लेख किया कि श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है एवं श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने जो पत्र दिया है उस पर वे पश्चात् निर्णय देंगे।

(प्रतिपक्ष के सदस्य नारे लगाते हुए गर्भगृह में आये।)

(सत्ता पक्ष के सदस्य द्वारा भी नारे लगाए गए।)

सर्वश्री शिवरतन शर्मा एवं देवजी पटेल, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा को अपवित्र किया है इसलिए भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल उनकी प्रतिमा को पवित्र करने हेतु गंगा जल से स्नान कराने जा रहा है।

(सत्ता पक्ष के सदस्य सदन से बाहर गए।)

3. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि-विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

सर्वश्री खेलसाय सिंह, पारसनाथ राजवाड़े, बृहस्पत सिंह, (डॉ.) प्रीतम राम, चिन्तामणी महाराज, टी.एस.सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष, श्यामलाल कंवर, डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री सियाराम कौशिक, दिलीप लहरिया, मोतीलाल देवांगन, सत्यनारायण शर्मा, धनेन्द्र साहू, गुरूमुख सिंह होरा, श्रीमती अनिला भेंडिया, सर्वश्री अरूण वोरा, गिरवर जंघेल, दलेश्वर साहू, श्रीमती तेज कुंवर गोवर्धन नेताम, सर्वश्री मनोज सिंह मंडावी, शंकर ध्रुवा, संतराम नेताम, मोहन मरकाम, लखेश्वर बघेल, दीपक बैज, एवं कवासी लखमा।

माननीय अध्यक्ष ने निलंबन की अवधि पश्चात् निर्धारित करने की घोषणा की।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने -

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद-151 के खण्ड)2 सगढ़ राज्यकी अपेक्षानुसार छत्ती (के भारत के नियंत्रक2013 वर्षलेखापरीक्षक से प्राप्तमहा-- लेखे खण्डके वित्त 2014)1) एवं खण्ड (2 ,तथा विनियोग लेखे (छत्तीसगढ़ शासन
2. छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम ,2002)क्रमांक 2002 सन् 30) की धारा की 11 उपधारा)6सगढ़ लोककी अपेक्षानुसार छत्ती (आयोग का एकादश वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013,
3. कंपनी अधिनियम ,1956 1956 सन् 1 क्रमांक)) की धारा 619-ए की उपधारा)3 के (पद तथा उसकी विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेडसगढ़ राज्यकी अपेक्षानुसार छत्ती (बी) सहायक कंपनियां -

)i (छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड ,

)ii (छत्तीसगढ़ राज्य पारेषण कंपनी लिमिटेड ,

)iii (छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड तथा

)iV (छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड

    के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013,
4. छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम ,1973 1973 सन् 43 क्रमांक)) की धारा 8-क की उपधारा)22011 य वर्षकी अपेक्षानुसार वित्ती (- नीय नगरीयमें स्था 2012 निकायों एवं पंचायत राज संस्थाओं में हुए वित्तीय संव्यवहारों पर स्थानीय निधि संपरीक्षा का वार्षिक प्रतिवेदनसगढ़ शासनछत्ती ,,
5. कंपनी अधिनियम ,2013 2013 सन् 18 क्रमांक)) की धारा) की उपधारा 3951 के पद (सगढ़ सोन्डिहा कोल कंपनी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्षकी अपेक्षानुसार छत्ती (बी) 2012-2013,
6. कंपनी अधिनियम ,2013 2013 सन् 18 क्रमांक)) की धारा) की उपधारा 3951 के पद (लपमेंसगढ़ मिनरल डेव्हकी अपेक्षानुसार छत्ती (बी)ट कार्पोरेशन लिमिटेड का बारहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013,
7. विद्युत अधिनियम ,2003 2003 सन् 36 क्रमांक)) की धारा नुसारकी अपेक्षा 182 अधिसूचना क्रमांक 60/ सी/.सी.आर.ई.एस.2014 ,जुलाई 15 दिनांक ,2014 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता (प्रथम संशोधन)2013, तथा

श्री अजय चंद्राकर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने -

8. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ,2005 12 की धारा 2005 सन् 42 क्रमांक) की उपधारा)3 य ग्रामीण रोजगार गांधी राष्ट्रीकी अपेक्षानुसार महात्मा (एफ) के पद (गारंटी योजना का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012- 2013

पटल पर रखा।

5. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि- सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विष्यों की अविलंबनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम 138 (3) को शिथिल कर उन्होंने आज की कार्यसूची में 13 ध्यानाकर्षण सूचनाएं शामिल किए जाने की अनुज्ञा प्रदान की है। इनमें से क्रमश: प्रथम दो ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनायें संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

सदन द्वारा सहमति दी गई।

(1) श्री टी.एस.सिंहदेव, सदस्य (निलंबित) (सूचना प्रस्तुत नहीं हुई)

(2) सर्वश्री धनेन्द्र साहू, भूपेश बघेल, सदस्य (निलंबित) (सूचना प्रस्तुत नहीं हुई)

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य पढ़े हुए माने गए :-

उप पद क्रमांक	**सदस्य**
(11)	श्री केशव चंद्रा
(12)	डॉ.विमल चोपड़ा

6. नियम 267 क के अधीन विषय

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267 क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री केशव चंद्रा

(2) डॉ.खिलावन साहू

(3) श्री शिवरतन शर्मा

7. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि -

1. निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक- 31, बेलतरा से निर्वाचित सदस्य श्री बद्रीधर दीवान द्वारा दिसम्बर, 2014 सत्र में दिनांक 15 दिसंबर, 2014 से 19 दिसम्बर, 2014 तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही गई है।
2. निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक- 3, बैकुंठपुर से निर्वाचित सदस्य श्री भईयालाल राजवाड़े द्वारा दिसम्बर, 2014 सत्र में दिनांक 15 दिसंबर, 2014 से 24 दिसम्बर, 2014 तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही गई है।

(सदन द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई।)

8. मंत्री का वक्तवय

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने जुलाई 2014 सत्र में सभा पटल पर रखी गई वर्ष 2013-2014 के संदर्भ में अंतिम तिमाही की आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा में जारी किये गये शुद्धि पत्र के संबंध में वक्तव्य दिया।

9. वर्ष 2014-2015 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि -अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी । परंपरानुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उन पर एक साथ चर्चा होती है। अत: मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वे सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत कर दें।

(सदन द्वारा सहमति दी गई।)

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि:-

दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या- 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 44, 47, 48, 51, 53, 56, 64, 65, 66, 67, 71, 79, 80, 81, 82 एवं 83 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर एक हजार चार सौ अस्सी करोड़, बयानवे लाख, तिहत्तर हजार, आठ सौ पचहत्तर रुपये की अनुपूरक राशि दी जाये।

(प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।)

10. निलंबन समाप्ति की घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने नियम 250 क के अंतर्गत निलंबित सदस्यों के निलंबन की अवधि समाप्त करने की घोषणा की।

11. अध्यक्षीय व्यवस्था

सरकार की नीति को आधार बनाकर अथवा घोषणा पत्र के आधार पर स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य योग्य नहीं होते

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - आज धान खरीदी नीति सहित एक से अधिक विषयों को सम्मिलित करते हुए प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना मुझे प्राप्त हुई है। सूचना में मुख्यत: सरकार की धान खरीदी नीति को गलत निरूपित करते हुए चुनावी घोषणा पत्र में की गई घोषणाओं को आधार बनाया गया है और इसके साथ ही अन्य विषयों का उल्लेख है।

जहां तक स्थगन प्रस्ताव का प्रश्न है सरकार की नीति को आधार बनाकर अथवा घोषणा-पत्र के आधार पर स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य योग्य नहीं होते। ये सरकार का अधिकार क्षेत्र है कि वह नीति बनाए और उसको लागू करे। प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव को मैंने अपने कक्ष में ही अग्राह्य कर दिया है।

12. वर्ष 2014-2015 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान (क्रमश:)

श्री लाभचंद बाफना, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री देवजी पटेल) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री मोतीराम चंद्रवंशी, डा. विमल चोपड़ा, श्री राजू सिंह क्षत्री, श्रीमती सरोजनी बंजारे, श्रीमती रूपकुमारी चौधरी, श्री रामलाल चौहान, डॉ. खिलावन साहू, श्रीमती चंपादेवी पावले, श्री केशव चंद्रा,

(1.31 से 3.15 तक अंतराल)

(सभापति महोदय (श्री संतोष बाफना) पीठासीन हुए।)

श्री श्याम बिहारी जायसवाल, श्री चुन्नीलाल साहू (खल्लारी),

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(अनुपूरक अनुदान मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

13. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2014 (क्रमांक-22 सन् 2014)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2014 (क्रमांक-22 सन्न् 2014) का पुर:स्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2, 3 व अनूसूची इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2014 (क्रमांक-22 सन् 2014) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

11. अध्यक्षीय व्यवस्था

आज प्रश्नकाल के तत्काल पश्चात् माननीय मंत्री श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा सभा में पोस्टरनुमा विज्ञापन पहनकर आने व माननीय सदस्य श्री शिवरतन शर्मा ने उनके द्वारा परिसर में गांधी प्रतिमा के समक्ष किये गये प्रदर्शन की ओर ध्यान आकृष्ट किया था। तत्समय मैंने व्यवस्था पश्चात देने की सूचना सदन को दी थी. मेरी व्यवस्था निम्नानुसार हैः-

आज सभा की कार्यवाही प्रारंभ होते ही प्रतिपक्ष के सदस्य सभा भवन में एक पोस्टरनुमा विज्ञापन अपने वस्त्रों पर आगे और पीछे दोनों ओर प्रदर्शित हो रहा था, के साथ प्रवेश किया और सभा की कार्यवाही में व्यवधान डालते हुए निरंतर नारेबाजी करते रहे, फलस्वरूप मुझे सभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी ।

प्रश्नकाल समाप्त होने के पश्चात जैसे ही सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई, माननीय मंत्री श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय ने मेरा ध्यान अध्यक्ष के स्थाई आदेश 94 (2), (3) एवं संसदीय पद्धति और प्रक्रिया पुस्तक के पृष्ठ 311 एवं 312 की ओर आकर्षित किया और साथ ही पूर्व में इस सदन में आसंदी से हुई व्यवस्था की ओर भी ध्यान दिलाया ।

मैंने माननीय मंत्री श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय द्वारा उल्लेखित किए गए संदर्भों का अवलोकन किया । अध्यक्ष के स्थाई आदेश में यह प्रावधानित है कि- "झण्डा, इश्तेहार आदि लेकर विधानसभा भवन/परिसर में चलना निषिद्ध है । इसी प्रकार संसदीय पद्धति एवं प्रक्रिया के लेखक कौल एवं शकधर के पृष्ठ 312 में यह उल्लेख है कि सभा में अपने स्थान पर झण्डा या कोई प्रतीक लगाने की मनाही है ।" तथा इसी सदन में दिनांक 23 नवंबर, 2004 को आसंदी से यह व्यवस्था दी गई है कि- "सभा की कार्यवाही के दौरान झण्डे और पोस्टर का प्रदर्शन संसदीय नियम एवं परंपरा के विपरीत है."

सदन में माननीय सदस्यों का आचरण कैसा हो, इस संबंधमें पूर्व में अनेक अवसरों पर विचार-विमर्श के दौरान न केवल आसंदी द्वारा सभा में व्यवस्थाएं दी गई हैं, अपितु विधान मंण्डलों के विभिन्न फोरम में भी इस संबंध में विचार-विमर्श हुआ है और आचरण के संबंध में मुख्य बात जो स्थापित हुई है, वह यह है कि सभा में माननीय सदस्यों का आचरण एवं व्यवहार संसदीय संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए । वह ऐसा होना चाहिए जिससे इस सभा एवं सदस्यों का सम्मान आम जनता के मन में धूमिल न हो । इस सदन में माननीय सदस्यों को नियमों एवं परंपराओं के अंतर्गत अपने ढंग से, उपलब्ध अवसरों और प्रक्रियाओं का लाभ उठाते हुए अपनी बातों को रखना चाहिए.

कई प्रकार के प्रस्ताव, संकल्प, मोशन्स, डिमाण्ड्स बहुत सी प्रक्रियाएं हैं, जिसके तहत माननीय सदस्य अपनी बातों को कह सकते हैं । मेरा दायित्व तो केवल यह है कि मैं इस सदन की कार्यवाही को उत्कृष्ट परंपराओं के आधार पर संचालित करूं ।

अतः मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे सभा के बाहर जैसा भी प्रदर्शन करें, लेकिन सभा भवन के अंदर जो चर्चा एवं वाद-विवाद का, इस प्रदेश का सर्वोच्च मंच है, में अपना प्रदर्शन चर्चा एवं वाद-विवाद तक ही सीमित रखें ।

माननीय सदस्य श्री शिवरतन शर्मा ने विधानसभा परिसर में गांधी जी की प्रतिमा पर काली शाल डालने और गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष प्रदर्शन करने का उल्लेख किया है । मेरा यह स्पष्ट मत है कि विधानसभा परिसर के अंदर माननीय सदस्यों के द्वारा कहीं भी किसी भी प्रकार का प्रदर्शन करना, नारेबाजी करना संसदीय प्रक्रियाओं एवं नियमों का घोर उल्लंघन है, यदि यह विधानसभा भवन एवं इसका परिसर राजनैतिक क्रियाकलापों के लिए खुला छोड़ दिया जावेगा, तो फिर मैं नहीं समझता कि संसदीय प्रजातंत्र के इस सर्वोच्च मंदिर की गरिमा को स्थापित हम किस प्रकार से कर पायेंगे, क्योंकि यह महती जिम्मेदारी तो समस्त माननीय सदस्यों की है कि इस सर्वोच्च प्रजातांत्रिक संस्था की गरिमा और पवित्रता को अक्षुण्ण रखें ।

आज प्रतिपक्ष के समस्त सदस्य यह जानते हुए कि वे निलंबित हो जाएंगे, गर्भगृह में आये, और स्वतः निलंबित हो गये. निरंतर नियमों एवं प्रक्रियाओं के उल्लंघन को भी मैं उचित नहीं समझता ।

आज सभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जाएगी, किन्तु मेरा प्रतिपक्ष के सदस्यों से अपेक्षा यह है कि वे इस सत्र के इन तीन दिवसों में सभा के अंदर उनके द्वारा किए गए कार्य, व्यवहार एवं आचरण पर गंभीर विचार विमर्श करें तथा इस सभा की और सदस्यों की आमजन के बीच गरिमा एवं प्रतिष्ठा में अभिवृद्धि हो, संसदीय संस्कृति का क्षरण न हो, हम ऐसी परम्परा न डालें जो वांछनीय, उत्कृष्ट और शालीन न हो, मैं समझता हूं जो तीन दिवस में हुआ वह उचित नही है. इस संबंध में माननीय प्रतिपक्ष के सदस्य स्वविवेक से निर्णय लें ।

14. नियम-167 के अंतर्गत अग्राह्य विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं की सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 167(1) के परन्तुक के अंतर्गत माननीय सदस्य श्री भैयाराम सिन्हा द्वारा श्री आलोक पाण्डेय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बालोद के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना दिनांक 25 सितंबर, 2014 को विचारोपरांत उन्होंन अपने कक्ष में अग्राह्य कर दी है।

15. नियम-239 के अंतर्गत सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि माननीय सदस्य श्री बर्नाड जोसेफ रोड्रिक्स द्वारा स्वामी विवेकानंद विमानतल, माना, रायपुर में पदस्थ सी.आई.एस.एफ. के

सुरक्षाकर्मी श्री सुकेश एस.ए. के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना दिनांक 25 नवंबर, 2014 मेरे समक्ष विचाराधीन है।

16. नियम-169 के अंतर्गत सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि उन्होंने माननीय सदस्य, छत्तीसगढ़ विधानसभा, डॉ. विमल चोपड़ा द्वारा महासमुंद जिले के जिलाधीश श्री उमेश कुमार अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक श्री दीपक कुमार झा, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, श्री ओंकार यदु एवं अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक, श्री राजेश कुकरेजा के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 27 नवंबर, 2014 को प्रारंभिक जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु विशेषाधिकार समिति को संदर्भित किया है।

17. सत्र का समापन

अध्यक्षीय उद्बोधन

चतुर्थ विधानसभा के तृतीय सत्र का आज अंतिम दिवस है। आप सभी माननीय सदस्य इस तथ्य से भलीभांति भिज्ञ है कि यह शीतकालीन सत्र दिनांक 15 दिसंबर 2014 से 24 दिसंबर 2014 के मध्य आहूत था किन्तु प्रदेश में नगरीय निकाय और स्थानीय निकायों के निर्वाचन की घोषित तिथियों से उत्पन्न परिस्थिति की वजह से आप सबकी सहमति को दृष्टिगत रखते हुए इस सत्र की तिथियों में संशोधन करते हुए आज दिनांक 17 दिसंबर 2014 को सत्रावसान का निर्णय लिया गया।

सत्र समापन के इस अवसर पर सबसे पहले मैं समस्त माननीय सदस्यों से एक विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि संसदीय शासन व्यवस्था में पक्ष-प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों के मध्य परस्पर वैचारिक मतभेद का तो स्थान है परंतु सदन के गतिरोध की स्वीकार्यता नही है, इस दृष्टि से हमें अपने संसदीय आचरण एवं व्यवहार पर चिंतन करना चाहिए। इस सत्र को इस बात के लिये याद रखा जाएगा कि इस सत्र की तीन दिवसीय बैठकों में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने संसदीय कार्यो के संपादन में हिस्सा नही लिया अपितु अपनी विशेष राजनैतिक मांग पर जोर देते हुए संसदीय आचरण के अनुरूप कार्य नहीं किया।

माननीय सदस्यों की भावना और इस बात से मैं सहमत हूं कि सभी माननीय सदस्य किसी न किसी राजनैतिक दल अथवा विचारधारा से संबद्ध होते हैं। अपने दल के प्रति उनकी प्रतिबद्धता आवश्यक भी है, परंतु सभा में उच्च संसदीय परंपराओं के पालन के लिये यह आवश्यक है कि हम संसदीय मूल्यों को सुदृढ़ बनाने में अपना अधिकतम योगदान दें।

इस सदन में पक्ष एवं प्रतिपक्ष के अनेक वरिष्ठ माननीय सदस्य हैं जिनका संसदीय प्रक्रियाओं एवं परिपाटियों में गहरा अनुभव रहा है। वस्तुतः मैं इस विषय का उल्लेख नही करना चाहता था, परंतु अपने हृदय की भावनाओं से आपको अवगत कराना आवश्यक समझता हूं कि

प्रदेश का यह सर्वोच्च मंच चर्चा के माध्यम से सरकार की त्रुटि की ओर ध्यान दिलाते हुए अपने तर्को से सरकार को नीतियों में परिवर्तन के लिये बाध्य करने का एक सशक्त मंच है और आप माननीय सदस्यों से यह अपेक्षा रहती है कि आप सभी इस सभा को चर्चा का एक ऐसा स्थल बनाए जिससे प्रदेश की जनता में यह संदेश जाए कि आप सभी वाद-विवाद एवं चर्चा के माध्यम से प्रदेश के विकास में सहभागिता निभा रहे हैं।

इस शीतकालीन सत्र में तमाम प्रयासों के बावजूद सदन में गतिरोध की वजह से अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विभिन्न माध्यमों से निर्धारित चर्चा नही हो सकना निश्चित रूप से खेद जनक है, परंतु इस संदर्भ में मेरी अपनी मान्यता है कि हमें आशावादी दृष्टिकोण रखना चाहिए। जो कुछ हुआ उससे हम सीख लेते हुए बेहतर भविष्य की दिशा में आगे बढ़े। हमें इस बात को स्मरण रखना होगा कि राजनैतिक कार्य एवं संसदीय कार्य दो पृथक बिंदु है हमे उसके सूक्ष्म अंतर को भी समझने की आवश्यकता है।

मैं ऐसा महसूस करता हूं कि आप सभी माननीय सदस्यों में उच्च संसदीय संस्कार विद्यमान है, और यही संस्कार भविष्य में इस सदन की गरिमा को अक्षुण्ण बनाये रखते हुए संसदीय मूल्यों के संरक्षण की दिशा में एक आदर्श प्रस्तुत करेंगे। छत्तीसगढ़ की चतुर्थ विधानसभा अभी अपने शैशवकाल से गुजर रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जैसे संवेदनशील, विद्वत माननीय सदस्यों के सामूहिक सहयोग से इस तृतीय विधानसभा का कार्यकाल अपनी उपलब्धियों के लिये स्मरण किया जायेगा। इस सत्र में वित्तीय कार्य और विधायी कार्य, निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप पूर्ण किये गये । इस कार्य में सहयोग के लिये आप सभी माननीय सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूं ।

इस शीतकालीन सत्र में सदन की कार्यवाही के सांख्यिकी आंकड़ों से मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा। इस सत्र के कुल 3 कार्य दिवसों में कुल 6 घंटे 15 मिनट चर्चा हुई। इस सत्र में 1371 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई जिनमें ग्राह्य तारांकित प्रश्न 486 एवं अतारांकित प्रश्नों की संख्या 427 रही। जैसा कि मैने आपकों पूर्व में उल्लेख किया है कि इस सत्र में अविलंबनीय लोक महत्व के प्रत्येक विषयों पर विभिन्न माध्यमों के तहत सदन में चर्चा हुई। इस सत्र में नियम 139 के अंतर्गत चर्चा हेतु कुल 4 सूचनाएं प्राप्त हुई।

इस सत्र में 4 अशासकीय संकल्प प्राप्त हुए तथा एक शासकीय संकल्प भी लाया गया जो स्वीकृत हुआ।

इस सत्र में कुल 107 स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई जिनमें से एक विषय में संबंधित 37 स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं की ग्राह्यता पर सदन में चर्चा हुई। अग्राह्य स्थगन प्रस्तावों की संख्या 70 रही। इस सत्र में शून्यकाल की 16 सूचनाएं प्राप्त हुई जिनमें से 14 सूचनाएं ग्राह्य व 02 सूचनाएं अग्राह्य रही।

चतुर्थ विधानसभा के इस तृतीय सत्र में कुल 182 ध्यानाकर्षण की सूचनाएं प्राप्त हुई जिनमें 18 सूचनाएं ग्राह्य व 132 सूचनाएं अग्राह्य रही। इस सत्र में कुल 06 विधेयक लाए गए

और 06 विधेयक पारित हुए। इस सत्र में कुल 11 प्रतिवेदन पटल पर रखे गये वहीं 06 याचिकाएं भी सदन के पटल पर रखी गई । इसके साथ ही सदन के महत्वपूर्ण कार्य, वित्तीय कार्य, अनुपूरक मांगों को पुनर्स्थापन का महत्वपूर्ण कार्य भी निष्पादित हुआ।

इस सत्र में विभिन्न जनप्रतिनिधि संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थाओं और विभिन्न संगठनों के लगभग 425 लोगों ने सदन की कार्यवाही का प्रत्यक्ष अवलोकन किया। आप माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि अपने विधानसभा क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थाओं को विधानसभा परिभ्रमण में सहयोग करें जिससे कि प्रदेश के अधिकतम छात्र-छात्राएं राज्य की सर्वोत्तम प्रजातांत्रिक संस्था की कार्यप्रणाली और महत्व को सहजता से समझ सके।

इस सत्र समापन के अवसर पर पत्रकार बंधुओं के विषय में विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि आपने अपनी कलम के माध्यम से अपनी सार्थकता को प्रमाणित और सिद्ध किया है। मैं पत्रकार दीर्घा के सभी पत्रकार बंधुओं को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं कि आपने सत्रकाल में सदन से संबंधित समाचारों को अपेक्षित आवश्यक स्वरूप में आम जनता के मध्य रखा। इस सत्र समापन के अवसर पर सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री टी.एस.सिंहदेवजी, माननीय संसदीय कार्यमंत्री श्री अजय चन्द्राकरजी, सभी मंत्रिगण, सभापति तालिका के सम्माननीय सदस्य सहित आप सभी माननीय मंत्रियों एवं सदस्यों को आपके सहयोग के लिये धन्यवाद देता हूं।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय के प्रमुख सचिव एवं उनके सहयोगियों और राज्य शासन के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्विध्न सत्र संपन्न कराने में सहयोग देने के लिये मैं उन्हे भी धन्यवाद देता हूं कि आपने प्रदत्त दायित्वों का गंभीरता से परिपालन किया। सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों/कर्मचारियों को बधाई देता हूं कि आपने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था को पूरे सत्रकाल में कायम रखा। उनके समन्वित सहयोग से ही इस सत्र का सुचारू संचालन संभव हो सका। परंपरा रही है कि सत्र समाप्ति के अवसर पर आगामी सत्र की संभावित तिथि सदन को सूचित की जाती है तद्नुसार आगामी बजट सत्र दिनांक 2 मार्च से दिनांक 3 अप्रैल के मध्य आहूत होने की संभावना है।

वर्ष 2014 का यह अंतिम सत्र है और शीघ्र ही नया वर्ष आने वाला है मैं आप सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि छत्तीसगढ़ के विकास के लिये आगे बढ़ें और इस पवित्र सदन की मर्यादा को अक्षुण्ण रखने का संकल्प लें । मैं कामना करता हूं कि आने वाला वर्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के लिये मंगलकारी हो आप सभी माननीय सदस्यों का भावी जीवन सुखमय और समृद्धिकारक हो।

इस अवसर पर मैं आवाहन करना चाहता हूं कि आइए ! छत्तीसगढ़ राज्य के विकास और समृद्धि के पावन अनुष्ठान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर इस पावन मंदिर की प्रतिष्ठा अक्षुण्ण रखने का संकल्प लें। नव वर्ष शुभ हो ।

जय हिन्द, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ ।

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने भी इस अवसर पर उद्‌गार व्यक्त किए।

18. राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान **जन-गण्-मन** की धुन बजाई गई।)

अपराह्न 3.59 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा